



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थानिक क्षेत्र
18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग
Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली - 110016
New Delhi - 110016
Tele.:011-26858570/26514179(Fax)
Website:www.kvsangathan.nic.in

एफ: F. 11056/2/LDE/UDC/2013-KVSHQ(E-III)

दिनांक: ०५/०२/२०१४

ज्ञापन

विषय: प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर वर्ष 2010-11 और 2011-2012 में पदोन्नति (रिजर्व पेनल)।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पे बेंड/वेतनमान रु 5200-20200/- ग्रेड पे रु. 2400/- में सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर वर्ष 2010-11 और 2011-2012 में पदोन्नति को अनुमोदित कर दिया है और कालम संख्या 6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किया जाता है। वे अपनी स्वीकृति विना किसी शर्त के दिनांक **1.03.2014** तक अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें और प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त होकर एवं नियमानुसार कार्यभार ग्रहण समय का उपयोग करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण कर लें। यदि वे दिनांक **1.03.2014** तक कार्यमुक्त होने में असफल रहते हैं तो पदोन्नति का यह प्रस्ताव स्वतः ही वापिस लिया माना जाएगा।

RESERVE PANEL- UNRESERVED CATEGORY

S. N	S.NO. in the merit list	Name of the LDC	KV where working presently	Date of Birth	Place of posting
1	2	3	4	5	6
1	96	SH. RANA MADHU SINGH	BSF HAZARIBAGH	05.05.1973	BHURKUNDA
2	97	SMT ALAKA MANJARI SARANGI	RO BHUBANESWAR	02.06.1973	NO. I BHUBNESWAR
3	106	SH RAJESH KUMAR GOSWAMI	NO. 1 GWALIOR	25.10.1969	NO.4 GWALIOR
4	102	MD. EHTASHAMUL HAQUE	No.2 Bailey Road Patna(2 nd shift)	15.01.1970	CHAPRA
5	105	SH K.K.CHAURASIA	NO. 2 JHANSI	10.07.1971	NO. 1 JHANSI
6	103	SMT. JAYASREE N.V.	EZHIMALA	01.05.1973	KALPETA
7	104	SH. RANJIT SINGH MANHAS	NO. 2 AKHNOOR	25.02.1976	DBN SHIKAR(BSF)
8	107	SMT PRAMOSH BANA	NFC VIGYAN VIHAR	10.01.1970	PRAGATI VIHAR (2nd Shift)
9	110	SMT N USHA RANI	DURG	26.03.1970	DURG
10	109	SH RAJESH KUMAR DUBEY	MUGHALSARAI	11.01.1972	BETTIAH
11	108	SH S.K. UPMAN	MRN MATHURA	28.08.1974	OEF HAZRATPUR
12	111	SH. RUDRA PAL SINGH PARIHAAR	KVS(HQ)	21.09.1966	VIKASPURI
13	117	SH. YOGENDRA PRASAD TIWARI	NO. 3 CHAKERI KANPUR	03.01.1969	FATEHGARH

14	115	SMT. K. MYTHILI	RO CHENNAI	11.05.1970	MEENAMBAKKAM
15	114	SH PRAMOD KUMAR	FAIZABAD CANTT	01.07.1972	FATEHGARH
16	118	J ROVENA HELAN MALATHI	ANNA NAGAR	30.8.1967	NO 2 TIRUCHIRAPALLY
17	119	SH BINOD KUMAR JHA	SAHARSA	01.01.1970	MUZZAFFARPUR
18	123	MR SREENIVASULU	HOSPET	06.06.1971	HOSPET
19	121	SH VIJAY KUMAR PANDEY	MANAURI ALLAHABAD	20.9.1974	MAHARAJGANJ
20	120	SH RAKESH KANSAL	NO 2 FEROZEPUR CANTT	18.8.1975	ALHILAL

RESERVE PANEL- SC CATEGORY

1	21	SH A PALANI	AFS AVADI	18.02.1970	THIRUVANNAMALAI
---	----	-------------	-----------	------------	-----------------

- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत की गई पदोन्नति इस शर्त पर होगी कि वे अन. जाति/अन.जनजाति (जैसा भी मामला हो) से वर्तमान में भी संबंधित हैं, इसके समर्थन में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी से वर्तमान प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- कर्मचारियों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपना वेतन पदोन्नति की तारीख से अथवा अपने पदोन्नति पूर्व के पद पर वेतनवृद्धि की तारीख से जैसे 1 जुलाई निर्धारित करवाएँ। यह विकल्प पदोन्नति के एक महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए।
- कर्मचारी को बीमारी/ प्रसूति के कारणों को छोड़कर अन्य किसी कारण से कार्यभार ग्रहण करने के विस्तार की अनुमति नहीं होगी तथा बीमारी / प्रसूति के मामले में चीफ मेडिकल आफिसर / मेडिकल सुप्रीटेंडेंट/ सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / परियोजनाओं जिससे विद्यालय संबद्ध है के अस्पतालों के चीफ मेडिकल ऑफिसर अथवा सेना या कमान अस्पताल के चीफ मेडिकल आफिसर द्वारा जारी विधिवत चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यह अनुरोध, यदि कोई हो तो दिनांक **01.03.2014** तक उचित माध्यम द्वारा केविस (मु.) में प्राप्त हो जाना चाहिए।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर तैनाती के स्थान में परिवर्तन या पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय में विस्तार के किसी भी अभ्यावेदन (उपर्युक्त पैरा 4 के अन्तर्गत प्रावधान को छोड़कर) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

आर एस भटनागर
5/2/14.
(आर एस भटनागर)

प्रशासनिक अधिकारी(स्थापना)

वितरण :

- संबंधित कर्मचारी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे अपनी स्वीकृति अनिवार्यतः दिनांक **01.03.2014** तक भिजवा दें। पदोन्नति की स्वीकृति की स्थिति में उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक **01.03.2014** तक कार्यमुक्त हो जाए।
- संबंधित के.वि. के प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यदि अधिकारी पदोन्नति पर जाने का इच्छुक है तो उन्हें अपनी शर्तमुक्त सहमति/ स्वीकृति प्राचार्य के माध्यम से केविस (मु.) को दिनांक **01.03.2014** तक भिजवानी होगी। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो यह माना लिया जाएगा कि उन्हें अपनी पदोन्नति में रुचि नहीं है और उनका पदोन्नति का आदेश बिना किसी अन्य नोटिस के स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। यदि उन्होंने पदोन्नति का स्वीकृति किया तो उन्हें अनिवार्य रूप से दिनांक **01.03.2014** तक या उससे पहले कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें।
- संबन्धित केवि के प्राचार्य जहां कर्मचारी की पदोन्नति उपरांत तैनाती की गयी है को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की जानकारी से तुरंत अवगत करायें।
- उपायुक्त, केविस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उपर्युक्त कम.रां. 2 में दी गई समय-सारणी को सुनिश्चित करवाते हुए कर्मचारी को कार्यमुक्त करें तथा जो कर्मचारी उनके संभाग से किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं उन्हें इस आदेश की प्रति उनके वर्तमान कार्यालय के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराई जाए।
- वित्त अधिकारी, केविस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, भर्ती एवं पदोन्नति, केविस (मु.)।
- सांख्यिकीय अधिकारी, ईडीपी सेल केविस (मु.) को केविस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- गार्ड फाइल।